भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1805

10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: किसान क्रेडिट कार्ड का प्रभाव

1805. श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के कार्यान्वयन और प्रभाव की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र के जनजातीय जिलों में खोले गए केसीसी खातों की जिला-वार संख्या कितनी है और सीमांत तथा लघु किसानों से संबंधित पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दस्तावेजीकरण की बाधाओं, बैंकों के कम कवरेज और सीमित जागरूकता के कारण इन जिलों में जनजातीय किसानों और महिला किसानों का नामांकन कम बना हुआ है और यदि हाँ, तो इस संबंध में चलाए गए विशेष अभियानों और उनके परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जनजातीय केसीसी धारकों द्वारा प्राप्त की गई व्याज सहायता का डेटा रखा जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वित्तीय साक्षरता की कमी ने जनजातीय किसानों के बीच ऋण के उपयोग और पुनर्भुगतान को प्रभावित किया है और इस संबंध में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या किसी प्रभाव अध्ययन के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में उत्पादकता और आय पर केसीसी के प्रभाव का आकलन किया गया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): बेंगलुरु स्थित सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी) ने हाल ही में संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस) का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन किया है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से केसीसी योजना का आंशिक मूल्यांकन भी शामिल है। नमूना सर्वेक्षण महाराष्ट्र के सोलापुर, सिंधुदुर्ग और जलगांव जिलों में किया गया था। आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कोई पृथक अध्ययन नहीं किया गया।

(ख): महाराष्ट्र के जनजातीय जिलों में दिनांक 31.12.2025 तक खोले गए केसीसी खातों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। डीएफएस से पुष्टि के अनुसार, लघु एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) के केसीसी खातों की संख्या दर्शाने वाले आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(संख्या वास्तविक और राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**31.12.2025 तक केसीसी की कुल संख्या**	**केसीसी में कुल बकाया राशि**
1	अमरावती	209165	2947.27
2	भंडारा	105014	927.01
3	चंद्रपुर	117541	1251.57
4	धुले	105378	1472.67
5	गडचिरोली	49850	322.60
6	गोंदिया	126105	845.21
7	जलगांव	274360	2759.91
8	नंदुरबार	59501	945.65
9	नासिक	146799	4293.05
10	पालघर	43959	402.85
11	ठाणे	50025	403.64
12	यवतमाल	354998	4948.00

स्रोत: डीएफएस

(ग) और (ड.): सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों सहित सभी किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण सुलभ बनाने के लिए कई पहल की हैं। इनमें बैंकों, राज्य सरकार/केंद्र सरकार, आरबीआई, नाबार्ड आदि द्वारा आयोजित नियमित आईईसी अभियान, के अतिरिक्त किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) जैसी तकनीकी सहायता शामिल हैं। इन अभियानों का उपयोग किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने या नवीनीकरण के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसान क्रेडिट कार्ड नामांकन को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शिविरों का आयोजन किया गया।

(घ): अनुसूचित जनजाति किसानों के केसीसी खातों में भुगतान की जा रही ब्याज सब्सिडी का डेटा किसान ऋण पोर्टल पर रखा जाता है। आज की तारीख तक, वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति आबादी से संबंधित 128633 सक्रिय केसीसी खाते हैं, जिन्हें एमआईएसएस लाभ प्राप्त हुए हैं।

(च): जनजातीय क्षेत्रों में उत्पादकता और आय पर केसीसी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई पृथक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, आईएसईसी, बेंगलुरु द्वारा तैयार की गई एमआईएसएस रिपोर्ट के तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययनों के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i. केसीसी-एमआईएसएस के तहत निवेश किया गया प्रत्येक ₹1 कृषि और संबद्ध क्षेत्र में शुद्ध मूल्यवर्धन में ₹2.30 का योगदान देता है;

ii. एमआईएसएस ने अपनी स्थापना से लेकर 2024-25 तक अनुमानित ₹1.87 लाख करोड़ की सब्सिडी राशि के साथ किसानों पर ब्याज का बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है;

iii. इस योजना ने फसल सघनता और बहु-मौसमी खेती पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसमें केसीसी- एमआईएसएस किसान बड़े क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं, उच्च फसल सघनता प्राप्त कर रहे हैं और विश्वसनीय सिंचाई और रियायती ऋण द्वारा समर्थित मौसमों में अधिक विविध फसल पोर्टफोलियो अपना रहे हैं;

iv. पर्याप्त कार्यशील पूंजी तक पहुंच के माध्यम से इसने इनपुट उपयोग की समयबद्धता में सुधार किया है, और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने बेहतर ऋण अनुशासन का प्रदर्शन किया है, जिससे आगे ऋण देने के लिए बैंकों का विश्वास बढ़ा है;

v. इस योजना ने दुग्ध उत्पादन और पशुधन विस्तार को बढ़ावा दिया है और फसल आय में वृद्धि करके, मौसमी कृषि पर निर्भरता कम करके और पशुधन एवं मत्स्य पालन को फसल उत्पादन के साथ एकीकृत करके आय विविधीकरण को प्रोत्साहित किया है। इसने अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं (डब्ल्यूसीआर) को भी पूरा करने में सहायता प्रदान की है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विविधीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

*****